विचार बिन्दु

केवल अंग्रेज़ी सीखने में जितना श्रम करना पड़ता है उतने श्रम में भारत की सभी भाषाएँ सीखी जा सकती हैं। –विनोबा

Increase in Salary of High Court Judges Must Reflect in Same Proportion to District Judges : Supreme Court

संविधान के अध्याय-V में उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति, ट्रान्सफर, प्रोमोशन, वेतन आदि के प्रावधान हैं। अनुच्छेद 227 में सभी उच्च न्यायालयों के अपने अपने राज्य क्षेत्रों में जिनके संबंध में वे अपनी आधिकारिता का प्रयोग करते हैं, सभी न्यायालयों और अधिकरणों का अधीक्षण करेंगे। अध्याय-VI के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। अनुच्छेद 236 में जिला जज की परिभाषा में जज ऑफ सिटी सिविल जज, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य व ऊपर प्रेसीडेन्सी, मजिस्ट्रेट, सेशन्स न्यायाधीश, अपर व सहायक सेशन्स न्यायाधीश हैं। अनुच्छेद 236 (ख) में 'न्यायिक सेवा' पद से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो अनन्यत: ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनी है, जिनके द्वारा जिलाधीश के पद का और जिला न्यायाधीश के पद से अवर व अन्य सिविल न्यायिक पदों का भरा जाना आशयित है।

ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के केस में पीठ ने जिसमें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड, न्यायाधीश रामसुब्रामण्यन व न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा थे, और वे पे स्केल वास्ते जूडिशियरी ने जो बढोत्तरी की थी उसके बाबत विचार कर रही थी, क्योंकि यह बढोत्तरी द्वितीय नेशनल लॉ पे कमीशन (एसएनजेपीसी) ने की थी। बहस के समय डिस्ट्रिक्ट जूडिशियरी के महत्व पर पीठ विचार कर रही थी, उस समय पीठ ने कहा कि हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी (District Judiciary) के महत्व के कारण भविष्य में डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी को Subordinate Judiciary कह कर सम्बोधन नहीं करेंगे। उक्त केस में निर्णय के लेखक माननीय न्यायाधीश नरसिम्हा ने पीठ की ओर से जो लिखा है वह इस प्रकार है:-

**No longer should this Court refer to the District Judiciary as 'subordinate judiciary'. Not only is this a misnomer because the District Judge is not per se subordinate to any other person in the exercise of her jurisdiction but also is disrespectful to the constitutional position of a District Judge. Our Constitution recognizes and protects a District Judge as a vital cog in the judicial system. Respect ought to be accorded to this institution and its contribution to the country. **

उक्त निर्णय दिनांक 19.05.2023 को पढ़ेंगे तो यह भी स्पष्ट होगा कि **The District Judiciary is the backbone of the judicial system. Vital to the judicial system is the independence of the judicial officers serving in the District Judiciary** निर्णय का वह भाग बहुत ही करूणा मय है जब माननीय पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि To secure their impartiality, it is important to ensure their financial security and economic independence.

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी को Subordinate Judiciary कहने को मना किया है, डिस्ट्रिक्ट जजों का पद गरिमा मय है और पद के महत्व को देखते हुए निर्णय में यह कहा कि इस पद को वही इज्जत मिलनी चाहिए जो हाईकोर्ट के जजों को प्राप्त हैं, क्योंकि जिला जज का पद, हाईकोर्ट के पद से एक पद से नीचे है।

माननीय पीठ ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट व हाईकोर्ट दोनों की कार्यशैली एक जैसी है, यानी दोनों को ही निष्पक्षता से तथा स्वतंत्र रूप से न्याय करना है।

Unified Judicial System के लिये आवश्यक है कि न्याय प्रणाली निष्पक्ष व निर्भिक तथा स्वतंत्र हो। वेतन, पेंशन व अन्य सेवा की आवश्यक शर्तों में हाईकोर्ट व डिस्ट्रिक्ट जजों के मध्य कोई रेशियो होना चाहिए। 'डिस्ट्रिक्ट जजों को Subordinate Judicial नहीं कहा जा सकता और हम ऐसा नहीं कहेंगे'। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में जब-जब बढ़ोत्तरी होती है, उसका Reflection डिस्ट्रिक्ट जजों के वेतन में उसी प्रोपरशन से होना चाहिए।

All India Judges Association Vs Union of India & others [Writ Petition (C) No.643/2015] Citation 2023 LiveLaw (SC) 452 decided on 19.05.2023 कई कारणों से महत्वपूर्ण है। इस निर्णय में कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला है, वे इस प्रकार हैं:-

1. डिस्ट्रिक्ट जजेज स्टेट एम्प्लाइज नहीं हैं अपितु वे पब्लिक पदों के धारक हैं वे सार्वभोम न्यायिक अधिकारों को Wield करते हैं।

2. Unified Judicial System में पदानुक्रम में हाईकोर्ट के न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर है अत: यह न्यायोचित है कि उनका वेतन जिला जजों के वेतन से अधिक होगा।

3. जिला जज राज्य कर्मचारी नहीं हैं अत: उनकी तुलना विधायिका के सदस्यों व कार्यपालिका में (Executive cesb) मिनिस्टर से की जा सकती है न Executive Staff से।

4. जिला जज के Function व हाईकोर्ट के Function एक जैसे हैं।

5. पेन्शन व एरियर्स (Arrears) के बाबत जूडिशियल ऑफिसर्स का भुगतान समय सीमा में होना चाहिए।

6. ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन का केस जुडिशियल ऑफिसर्स की मांग थी कि उन्हें द्वितीय नेशनल जूडिशियल पे कमीशन के एरियर्स दिलाये जावें। इस केस की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ ने यह माना कि District Judiciary Subordinate Judiciary नहीं है और डिस्ट्रिक्ट जज व हाईकोर्ट के न्यायाधीश के Function एक जैसे हैं। इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट जजों को सुप्रीम कोर्ट ने ऊँचा स्टेटस दिया है यह करार दिया है कि उनके हाईकोर्ट के Function एक जैसे हैं।

यहाँ हम जिला जजों के बाबत विचार कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी को Subordinate Judiciary कहने को मना किया है, डिस्ट्रिक्ट जजों का पद गरिमा मय है और पद के महत्व को देखते हुए निर्णय में यह कहा कि इस पद को वही इज्जत मिलनी चाहिए जो हाईकोर्ट के जजों को प्राप्त हैं, क्योंकि जिला जज का पद, हाईकोर्ट के पद से एक पद से नीचे है। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 233 का उल्लेख अध्याय VI में जिला जजों को अधीनस्थ न्यायालय से सम्बोधित किया है। माननीय कोर्ट ने इस असंगति को दूर करने के हेतु निर्णय में कहा कि जिला ज्यूडिशियरी Subordinate Judiciary नहीं है। इस विचार धारा पर ऊपर प्रकाश डाला गया है। यदि हम इस प्रसंग को संविधान की उद्देशिका की पृष्ठभूमि के संदर्भ में पढते हैं, तो स्पष्ट होगा कि भले ही उद्देशिका को संविधान के एक अभिन्न अंग के रूप में माना है, फिर भी यह अपनी जगह सच है कि यह न तो किसी शक्ति का कोई स्रोत है और उसको किसी भी प्रकार सीमित करता है"। वस्तुत: हमारे न्यायालय विधि न्यायालय है। न्याय की परिभाषा या व्याख्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रूप में की गई है। अत: डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी अधीनस्थ ज्यूडिशियरी नहीं है, क्योंकि वे किसी के Subordinate नहीं हैं व ऐसा कहना उनका अनादर है। संविधान ने इन्हें उचित स्थान दिया है।

दिनांक 19.05.2023 के उक्त वर्णित निर्णय ने एसोसिएशन के सदस्य को लाभ दिये हैं। उज्जवल भविष्य का सपना दिखाया है। पद को और गरिमा प्रदान की गई है। अपने अधिकारों के हेतु कोर्ट की शरण लेना उचित कदम है। निर्णय का लाभ सभी जिला न्यायाधीशों को मिलेगा जो संविधान के अनुच्छेद 236 की डिस्ट्रिक्ट जज की परिभाषा के तहत आते हैं।

राजस्थान में जूडिशियल ऑफिसर्स का अपना एसोसिएशन है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को समझें और उसके अनुसार आचरण करें। हाईकोर्ट व बार एसोसिएशन को प्रतिवेदन भेंजे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पालना करने के हेतु उचित प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को लिखें।

सत्यमेव जयते!

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

जलवायु परिवर्तन के साथ ही पश्चिमी विक्षोभों का बदलता पैटर्न

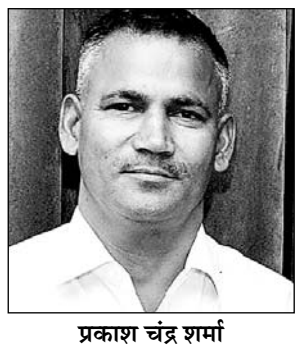

प्रकाश चंद्र शर्मा

इंसान ने तो रंग बदलने की प्रवृत्ति में गिरगिट को भी परास्त कर दिया लेकिन प्रकृति भी वर्षभर के मौसमी चक्र पर स्थिर रहने के बजाय इस प्रकार अपना रंग बदलने लगेगी, इसकी कल्पना तो किसी ने भी नहीं की थी। नौतपा में हर साल धरती खूब तपा करती है। हमारे बुजुर्ग सूर्य की आग उगलती गर्मी में धरती द्वारा की जाने वाली इस नौ दिन की तपस्या को अच्छे संवत से जोडकर देखते रहे हैं। विज्ञान से परे बुजुर्गों का मानना है कि यदि धरती का नौतपा यज्ञ निर्विघ्नता से सम्पन्न हो जाए तो वर्षा का चक्र भी बहुत बेहतर रहता है। यदि बुजुर्गों के अनुभवों के मापदंड पर इस साल के मौसम को परखें तो यह बात तय हो चुकी है कि अबकी बार अच्छी बारिश होने की उम्मीद बहुत कम है। बार-बार उठ रहे पश्चिमी विक्षोभ के राक्षस ने धरती के नौतपा यज्ञ में इस बार जमकर विघ्न उत्पन्न किए हैं। मई मास बीत जाने के बावजूद अभी तक पिछले वर्षों की भांति गर्मी का अहसास तक नहीं हुआ है। जिन दिनों में चोटी के पसीने का बार- बार एडी से मिलन होना चाहिये था, उन दिनों पसीनों से तरबतर होना तो दूर की बात, ठण्डे वातावरण के चलते चिपचिपाहट का भी तनिक सा अहसास नहीं हो पा रहा है। अब ग्रीष्मकाल बीतने में जून माह के सिर्फ़ बीस दिन शेष बचे हैं। बीस दिन इसलिए क्योंकि आमतौर पर बीस जून तक देश के अधिकांश भूभाग में मानसून के सक्रिय हो जाने से वर्षा आरम्भ हो जाती है। इस वर्ष बार बार सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभों से चकित मौसम विज्ञान विभाग भी ठिठका हुआ है। प्रकृति के बदलते तैवरों से वह भी आश्चर्यचकित है। जिन दिनों पहाडी इलाकों में गर्मी के चलते बर्फ पिघलना आरम्भ हो जाता था, उन्हीं दिनों में वहां बर्फबारी हुई है और इस बदलाव से वैज्ञानिक चकित हैं।

मौसम चक्र में तीन साल के दौरान खासतौर पर बदलाव देखा गया है। पूरी अवधि के दौरान 16 से 24 पश्चिमी विक्षोभ की घटनाएं होती हैं। इस बार सर्दी में सिर्फ तीन तेज पश्चिमी विक्षोभ आए। जलवायु परिवर्तन का असर कहें या पश्चिमी विक्षोभों का प्रभाव... देश में मौसम चक्र भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका है। सर्दी गर्म होने लगी है तो इस साल गर्मी भी अभी तक ठंडी ही महसूस हो रही है।

मौसम विज्ञानियों की मानें तो 2020-21 के बाद से असामान्य मौसम का कारण पश्चिमी विक्षोभ के बदलते चरित्र में निहित है।

रिव्यूज ऑफ जियोफिजिक्स जर्नल में प्रकाशित वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज: अ रिव्यू के अनुसार दिसंबर से मार्च के बीच भारत हर माह औसतन चार से छह बार तेज पश्चिमी विक्षोभ का सामना करता है। यानि इस पूरी अवधि के दौरान 16 से 24 पश्चिमी विक्षोभ की घटनाएं होती हैं। लेकिन इस बार सर्दी के दौरान देश में सिर्फ तीन तेज पश्चिमी विक्षोभ आए। इनमें से दो जनवरी और एक मार्च में रहा।

दिसंबर और फरवरी बिना किसी तेज पश्चिमी विक्षोभ के ही बीत गए। अप्रैल में दो से तीन आते हैं, लेकिन इस बार पांच से छह आए।

एक अन्य पेपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस- इन इंडियन मीटियोरोलाजिकल पर्सपेक्टिव के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ से बनने वाले बादलों का सर्दी के मौसम के दौरान अधिकतम तापमान पर भी प्रभाव पड़ता है लेकिन ये बादल इस बार सर्दी में गायब थे।

20 फरवरी को गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक पहुंच गया, जिसकी वजह से मौसम विज्ञान विभाग को किसानों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी करनी पडी। एक तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि देश में पिछले साल जैसे हालात का सामना फिर से करना पड सकता है।

पिछली बार कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण मार्च में तापमान बढ़ गया था। इस कारण पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 30 से 40 फीसदी तक गेहूं की फसल का नुकसान हुआ। इसके नतीजे बहुत गंभीर रहे। घरेलू गेहूं की कीमतें आसमान छू गईं और केंद्र को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से लेकर अपना गेहूं का भंडार कम कीमतों पर बेचने तक, कई मुश्किल फैसले लेने के लिए मजबूर होना पडा।

क्या हैं पश्चिमी विक्षोभ : आईआईटीएम पुणे के जलवायु विज्ञानी राक्सी मैथ्यू काल बताते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ ऐसे चक्रवाती तूफान हैं, जो जमीन पर बनते हैं। ये तूफान ज्यादातर मेडिटेरियन क्षेत्र के तापमान में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से गर्म हवा और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों से ठंडी हवा के मिश्रण से होने वाले उतार चढ़ाव से बनते हैं। वैसे तो स्टार्म सिस्टम पूरे साल बनते रहते हैं लेकिन ये ज्यादातर दिसंबर व अप्रैल के बीच भारत आते हैं।

किसी बढ़ते हुए पश्चिमी विक्षोभ से पहले गर्म, नम हवा आती है और उसके बाद ठंडी, शुष्क हवा। यह सिस्टम दिसंबर और जनवरी सरीखे अत्यधिक सर्दियों वाले महीनों में तापमान गर्म रखता है और फरवरी और मार्च-अप्रैल में तापमान को बढ़ने से रोकता है।

प्रकृति के तैवरों में बीते तीन साल से जबरदस्त बदलाव देखा जा रहा है। पिछले तीन वर्षों से दुनिया ला नीना फेज में है। इसका संबंध प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के ठंडा होने से है। इससे गर्म ट्रापिकल हवा का तापमान गिर जाता है और पश्चिमी विक्षोभ को बनाने के लिए जरूरी तापमान का उतार-चढ़ाव कमजोर पड जाता है।

मुंबई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के जलवायु वैज्ञानिक रघु मुर्तुगुड्डे कहते हैं- आमतौर पर अल नीनो-दक्षिणी दोलन (ईएनएसओ) के ला नीना फेज के दौरान पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड जाते हैं। इस कारण सर्दियां शुष्क हो जाती हैं।

वहीं, अल नीनो फेज में हालात इसके उलट होते हैं। मौजूदा समय में भी अल नीनो फेज ही चल रहा है। इसलिए मई में भी अभी तक न अधिकतम तापमान बहुत बढ़ा है और न ही लू चली है।

माना जा रहा है कि भविष्य में स्थिति और भी खराब हो सकती है। जलवायु वैज्ञानिक कहते हैं- पश्चिमी विक्षोभ आमतौर पर कमजोर होते जा रहे हैं और इसलिए अपने साथ कम बरसात लाते हैं लेकिन जब वे ज्यादा वर्षा लेकर आते हैं, तब हालात बहुत खराब हो जाते हैं। भविष्य में इस प्रवृत्ति के और खराब होने की आशंका है। अगर बीते आठ वर्षों के दौरान दिसंबर में आए पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो 2017 और 2019 को छोडकर आठ में से छह साल यह काफी कमजोर रहे हैं। इसका मुख्य कारण दिसंबर में उष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम का उत्तर की ओर खिसकना है। इसीलिए भारत में सर्दियों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ का आना काफी कम हो गया है जबकि गर्मियों में उनकी आमद बढ़ गई है।

-प्रकाश चंद्र शर्मा,
स्वतंत्र पत्रकार एवं लेखक

चार मोरों को जहरीला दाना खिलाया, दो शिकारियों को गिरफ्तार किया

डीडवाना, (निसं)। जिले में मोर के शिकार की घटनाए बढ़ती जा रही है वन्य जीव प्रेमियों में राष्ट्रीय पक्षी के शिकार की घटनाओं को लेकर रोष है। डीडवाना वन विभाग रेंज में लगातार दूसरे दिन मोर के शिकार की घटना हुई। वन विभाग रेंज डीडवाना के खुनखुना थाना क्षेत्र में सिपाहीयों की ढाणी के पास घुमंतू जाति के बनबागरिया परिवार द्वारा चार मोरों को जहरीला दाना खिलाकर शिकार करने का मामला सामने आया है।

- **डीडवाना वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची और मृत मोरों को कब्जे में लिया**
- **गत दिनों भी अज्ञात शिकारी दंपती ने गेहूं का जहरीला दाना डाल 12 से अधिक मोरों का शिकार किया था**

ग्रामीणों की सूचना पर डीडवाना वन विभाग और खुनखुना थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और मृत मोरो को अपने कब्जे में लिया और शिकार के आरोप में दो शिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि कल गच्छीपुरा थाना क्षेत्र के खेड़ी शीला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर गुढ़ा चक द्वितीय की खातोलाई नाडी में अज्ञात शिकारी दंपती ने गेहूं का जहरीला दाना डालकर 12 से अधिक मोरों का शिकार कर लिया। लोगों ने शिकार के बारे में वन विभाग डीडवाना को सूचना देकर बुलाया और वन विभाग की टीम द्वारा मृत मोरों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीडवाना कार्यालय लाया गया जहां आज सभी मृत मोरो का डीडवाना पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया जायेगा। वहीं वन विभाग की टीम शिकारियों की पकड़ को लेकर अनुसंधान कर रही है।

डीडवाना में वन विभाग व पुलिस टीम ने मोर के शिकार के मामले में दो जनों को पकड़ा।

पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने जलदाय विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया

पावटा, (निसं)। पावटा शहर के ग्राम शिवनगर में दिन प्रतिदिन बढ़ रही पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने गुरुवार सुबह जलदाय विभाग कार्यालय पावटा के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं ने बताया कि जरूरत के अनुसार पानी की आपूर्ति न होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। अगर जल्द पानी की किल्लत को दूर नहीं किया गया तो बडा आंदोलन व प्रदर्शन करेंगे।

- **पावटा शहर के ग्राम शिवनगर में कई महिनों से पानी की किल्लत**
- **पानी की किल्लत को दूर नहीं किया तो बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी**

पावटा शहर के ग्राम शिवनगर की महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया।

सुबह के समय महिलाओं ने जलदाय विभाग कार्यालय पावटा के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने बताया कि शिवनगर में कई महिनों से पानी की किल्लत बनी हुई है। वहीं जल जीवन मिशन के तहत कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। जिसके कारण उनको पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। पीने के पानी के लिए ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। पुरुषों का ज्यादातर समय पानी का इंतजाम करने में ही गुजर रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ पानी न मिलने पर परेशानी भी बढ़ती जा रही है। पानी की किल्लत को दूर करने की मांग को कई बार जलदाय विभाग कार्यालय पावटा के अधिकारियों के सामने रखा है। अधिकारियों की तरफ से हर बार जल्द पानी की किल्लत को दूर करने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन इसको लेकर विभाग की तरफ से कुछ नहीं किया गया है।

महिलाओं ने कहा कि अगर जलदाय विभाग ने जल्द पानी की किल्लत को दूर नहीं किया तो आने वाले दिनों में बडा प्रदर्शन करेंगे। वहीं जलदाय विभाग पावटा कनिष्ठ अभियंता गगन गुर्जर ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत होने वाली सप्लाई मे अभी समय लगेगा जब तक पानी की किल्लत को दूर करने के लिए प्रतिदिन चार पानी के टैंकरों की व्यवस्था की जायेगी। इस मौके पर अशोक खारवाल, रामू खारवाल, पूरण खारवाल, सुभाष खारवाल, रामसिंह खारवाल, राजू खारवाल, दयाराम खारवाल, महेंद्र खारवाल, गोकुल खारवाल, काली, सुमन, भोली, माली, ममता, राजबाला सहित बडी संया मे महिलाए व ग्रामीण मौजूद रहे।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शुक्रवार 2 जून, 2023

ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2080, स्वाती नक्षत्र प्रात: 6:53 तक, परिद्य योग सांय 5:09 तक, तैतिल करण दिन 12:49 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 12:29 से वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृष, चन्द्रमा-तुला, मंगल-कर्क, बुध-मेष, गुरू-मेष, शुक्र-कर्क, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

रवियोग प्रात: 6:53 से आरम्भ होगा।।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:19 तक, लाभ-अमृत 7:19 से 10:43 तक, शुभ 12:25 से 2:07 तक, चर 5:30 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:37, सूर्यास्त 7:12

मेष

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष

मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मिथुन

व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कर्क

परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। स्वभाव की तेजी पर नियंत्रण रखें।

सिंह

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। नये-पुराने मित्रों के साथ मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

कन्या

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

तुला

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

वृश्चिक

धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

धनु

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित परामर्श मिलेगा। आज रचनात्मक कार्यों में समय व्यतीत होगा।

मकर

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।

कुंभ

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बन सकते हैं। व्यावसायिक विवादों का निपटारा हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

मीन

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। यात्रा में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।